# Haryana Government Gazette

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 20-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 14, 2019 (VAISAKHA 24, 1941 SAKA)

**PART IV**

**Republication of Act, Bills, Ordinances etc. and Rules thereunder**

# वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015

**(2016 का अधिनियम संख्यांक 4)**

**[31 दिसम्बर, 2015]**

**विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह तारीख 23 अक्तूबर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''वाणिज्यिक अपील प्रभाग'' से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग अभिप्रेत है;

(ख) ''वाणिज्यिक न्यायालय'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय अभिप्रेत है;

(ग) ''वाणिज्यिक विवाद'' से—

(i) वणिकों, बैंककारों, वित्तदाताओं और व्यापारियों के सामान्य संव्यवहारों से, जैसे वाणिज्यिक दस्तावेजों से, जिनके अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों का प्रवर्तन और निर्वचन भी है, संबंधित हैं;

(ii) वाणिज्या और सेवाओं के निर्यात या आयात से;

(iii) नावधिकरण और समुद्री विधि से संबंधित मुद्दों से;

(iv) वायुयान, वायुयान इंजनों, वायुयान उपस्करों और हेलीकाप्टरों से, जिनके अंतर्गत उनका विक्रय करना, उन्हें पट्टे पर देना और उनके लिए वित्तपोषण करना भी है, संबंधित संव्यवहारों से;

(v) माल वहन से;

(vi) सन्निर्माण और अवसंरचना संविदाओं से, जिनके अंतर्गत निविदाएं भी हैं;

(vii) ऐसी स्थावर संपत्ति से, जिसका प्रयोग अनन्य रूप से व्यापार या वाणिज्य में किया जाता है, संबंधित करारों से;

(viii) फ्रेंचाइजी के करारों से;

(ix) वितरण और अनुज्ञापन संबंधी करारों से;

(x) प्रबंधन और परामर्श कार्य संबंधी करारों से;

(xi) संयुक्त उपक्रम संबंधी करारों से;

(xii) शेयर धारकों के करारों से;

(xiii) सेवा उद्योग, जिसके अंतर्गत बाह्यस्रोतीय सेवाएं और वित्तीय सेवाएं भी हैं, के संबंध में अभिदान और विनिधान संबंधी करारों से;

(xiv) वाणिज्या अभिकरण और वाणिज्या प्रथा से;

(xv) भागीदारी संबंधी करारों से;

(xvi) प्रौद्योगिकी विकास संबंधी करारों से;

(xvii) रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों, प्रतिलिप्यधिकार पेटेंट, डिजाइन, प्रभुत्व क्षेत्र नामों, भौगोलिक उपदर्शनों और अर्धचालक एकीकृत सर्किटों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों से;

(xviii) माल के विक्रय या सेवाओं का उपबंध करने के करारों से;

(xix) तेल और गैस रिजर्व या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के, जिनके अंतर्गत विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी है, समुपयोजन से;

(xx) बीमे और पुनर्बीमे से;

(xxi) उपर्युक्त में से किसी से संबंधित अभिकरण की संविदाओं से; और

(xxii) ऐसे अन्य वाणिज्यिक विवादों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं,

उद्भूत होने वाले विवाद अभिप्रेत हैं।

**स्पष्टीकरण**—किसी वाणिज्यिक विवाद का, वाणिज्यिक विवाद नहीं रहना मात्र इस कारण से नहीं होगा कि —

(क) उसमें स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण या प्रतिभूति के रूप में दी गई स्थावर संपत्ति में से धनराशि की वसूली करने की कार्रवाई भी अंतर्वलित है या स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई अन्य अनुतोष अंतर्वलित है;

(ख) संविदा करने वाले पक्षकारों में से एक पक्षकार राज्य या उसके अभिकरणों या परिकरणों में से कोई अभिकरण या परिकरण अथवा लोक कृत्य करने वाला कोई प्राइवेट निकाय है;

(घ) ''वाणिज्यिक प्रभाग'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग अभिप्रेत है;

(ङ) ''जिला न्यायाधीश'' का वही अर्थ होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 236 के खंड (क) में उसका है;

(च) ''दस्तावेज'' से, पत्रों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से किसी उपादान पर अभिव्यक्त या वर्णित कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है, जिसका उस सामग्री को अभिलेखबद्ध करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाना आशयित है या जिसका प्रयोग किया जाए;

(छ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' पद का उसके सजातीय अर्थों और व्याकरणिक रूपभेदों सहित तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) ''अनुसूची'' से अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है; और

(झ) किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में ''विनिर्दिष्ट मूल्य'' से, किसी वाद की बाबत विषय-वस्तु का, धारा 12 के अनुसार यथा अवधारित ऐसा मूल्य अभिप्रेत है, जो एक करोड़ रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम का नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस संहिता या अधिनियम में उनके हैं।

1908 का 5
1872 का 1

## अध्याय 2

## वाणिज्यिक न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन

**वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन।**

3.(1) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक न्यायालयों पर प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए जिला स्तर पर उतने ऐसे न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने वह आवश्यक समझे:

परन्तु उस राज्यक्षेत्र के लिए, जिस पर उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, किसी वाणिज्यिक न्यायालय का गठन नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी जिस पर किसी वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया जाएगा और समय-समय पर ऐसी सीमाओं को बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी या उनमें परिवर्तन कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा के काडर में से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी।

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन।

4. (1) ऐसे सभी उच्च न्यायालयों में, जिन्हें मामूली सिविल अधिकारिता प्राप्त है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का, जिसमें एकल न्यायाधीश वाली एक या अधिक न्यायपीठें हों, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गठन कर सकेगा।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो।

वाणिज्यिक अपील प्रभाग का गठन।

5. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना अथवा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किए जाने के पश्चात्, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, आदेश द्वारा, ऐसे वाणिज्यिक अपील प्रभाग का, जिसमें एक या अधिक प्रभागीय न्यायपीठें हों, अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, गठन करेगा।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को वाणिज्यिक अपील प्रभाग के न्यायाधीशों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो।

वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता।

6. वाणिज्यिक न्यायालय को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, जिस पर उसमें राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता निहित की गई है, उद्भूत किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में सभी वादों और आवेदनों का विचारण करने की अधिकारिता होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी वाणिज्यिक विवाद को उस राज्य के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में, जिन पर वाणिज्यिक न्यायालय में अधिकारिता निहित की गई है, उद्भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसे वाणिज्यिक विवाद के संबंध में वाद या आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 से धारा 20 के उपबंधों के अनुसार संस्थित किया गया हो। 1908 का 5

उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता।

7. किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के संबंध में मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले किसी उच्च न्यायालय में फाइल किए गए सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और उनका निपटारा उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा:

परंतु वाणिज्यिक विवादों से संबंधित ऐसे सभी वादों और आवेदनों की, जिनके बारे में किसी अधिनियम द्वारा यह अनुबंधित है कि वे किसी जिला न्यायालय से अवर न्यायालय में नहीं होंगे और उच्च न्यायालय की मूल शाखा में फाइल किए जाएंगे या लंबित रहेंगे, सुनवाई और उनका निपटारा उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह और कि डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 22 की उपधारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय को अंतरित सभी वादों और आवेदनों की सुनवाई और उनका निपटारा उन सभी क्षेत्रों में, जिन पर उच्च न्यायालय मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा। 2000 का 16 1970 का 39

अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन या अर्जी का वर्जन।

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सिविल पुनरीक्षण आवेदन या अर्जी को, किसी वाणिज्यिक न्यायालय के किसी अंतर्वर्ती आदेश, जिसके अंतर्गत अधिकारिता के विवाद्यक पर आदेश भी है, के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा और धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी कोई चुनौती, वाणिज्यिक न्यायालय की डिक्री के विरुद्ध केवल किसी अपील में ही दी जा सकेगी।

1908 का 5

किसी वाणिज्यिक विवाद में प्रतिदावा विनिर्दिष्ट मूल्य का होने की दशा में वाद का अंतरण।

9. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी सिविल न्यायालय के समक्ष किसी वाद में फाइल किया गया प्रतिदावा विनिर्दिष्ट मूल्य का है, तो ऐसा वाद, सिविल न्यायालय द्वारा उस वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अंतरित कर दिया जाएगा।

(2) यदि ऐसे वाद को उपधारा (1) में अनुध्यात रीति से अंतरित नहीं किया जाता है, तो प्रश्नगत सिविल न्यायालय पर पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे वाद को वापस ले सकेगा और उसे विचारण के लिए अथवा उसका निपटारा करने के लिए उस वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग को अंतरित कर सकेगा और अंतरण संबंधी ऐसा आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा।

माध्यस्थम् मामलों के संबंध में अधिकारिता।

10. जहां किसी माध्यस्थम् की विषय-वस्तु किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद की है और—

1996 का 26

(1) यदि ऐसा माध्यस्थम् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् है तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदनों या अपीलों की, जो किसी उच्च न्यायालय में फाइल किए गए हों, सुनवाई और उनका निपटारा उस वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन उस उच्च न्यायालय में किया गया है।

1996 का 26

(2) यदि ऐसा माध्यस्थम्, किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न है तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदनों या अपीलों की, जो किसी उच्च न्यायालय की मूल शाखा में फाइल किए गए हों, सुनवाई और उनका निपटारा उस वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा किया जाएगा जहां ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग का गठन उस उच्च न्यायालय में किया गया है।

1996 का 26

(3) यदि ऐसा माध्यस्थम् अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न है, तो माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन ऐसे माध्यस्थम् से उद्भूत ऐसे सभी आवेदन और अपीलें, जो सामान्यतया किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाले किसी प्रधान सिविल न्यायालय (जो उच्च न्यायालय न हो) के समक्ष होते हैं, ऐसे माध्यस्थम् पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाले वाणिज्यिक न्यायालय में फाइल की जाएगी और उसके द्वारा उनकी सुनवाई की जाएगी तथा उनका निपटारा किया जाएगा जहां कि ऐसे वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता का वर्जन।

11. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई वाणिज्यिक न्यायालय या वाणिज्यिक प्रभाग, ऐसे किसी वाणिज्यिक विवाद से, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जन किया गया है, संबंधित किसी वाद, आवेदन या कार्यवाहियों को ग्रहण नहीं करेगा या उनका विनिश्चय नहीं करेगा।

## अध्याय 3

## विनिर्दिष्ट मूल्य

विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण।

12. (1) किसी वाद, अपील या आवेदन में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु के विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:—

(क) जहां किसी वाद या आवेदन में ईप्सित अनुतोष, धनराशि की वसूली के लिए है, वहां वाद या आवेदन में वसूली की जाने वाली ईप्सित धनराशि को, यथास्थिति, वाद या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख तक संगणित ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

(ख) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष जंगम-संपत्ति या उसमें के किसी अधिकार के संबंध में है, वहां, यथास्थिति, वाद, अपील या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख को जंगम-संपत्ति का, जो बाजार मूल्य है, उसे ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

(ग) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी अधिकार के संबंध में है, वहां, यथास्थिति, वाद, अपील या आवेदन फाइल किए जाने की तारीख को स्थावर संपत्ति का जो बाजार मूल्य है, उसे ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा;

(घ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में ईप्सित अनुतोष किसी अन्य अमूर्त अधिकार के संबंध में है, वहां, वादी द्वारा उक्त अधिकारों के यथा प्राक्कलित बाजार मूल्य को ऐसे विनिर्दिष्ट मूल्य का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा; और

(ङ) जहां किसी वाद, अपील या आवेदन में प्रतिदावा किया जाता है, वहां प्रतिदावे की तारीख को ऐसे प्रतिदावे में वाणिज्यिक विवाद की विषय-वस्तु के मूल्य को हिसाब में लिया जाएगा।

(2) किसी वाणिज्यिक विवाद के माध्यस्थम् में, दावे और प्रतिदावे का, यदि कोई हो, का सकल मूल्य, जैसा दावे और प्रतिदावे के, यदि कोई हो, कथन में वर्णित है, इस बात का अवधारण करने का आधार होगा कि क्या ऐसा माध्यस्थम्, यथास्थिति, किसी वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक अपील प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय की अधिकारिता के अध्यधीन है।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन, यथास्थिति, कोई अपील या सिविल पुनरीक्षण आवेदन किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के उस आदेश के, जिसमें उसने यह निष्कर्ष दिया है कि उसे इस अधिनियम के अधीन किसी वाणिज्यिक विवाद की सुनवाई करने की अधिकारिता है, विरुद्ध नहीं होगी। 1908 का 5

## अध्याय 4

## अपीलें

वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों की डिक्रियों के विरुद्ध अपीलें।

13. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो वाणिज्यिक न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के विनिश्चय से व्यथित है, अपील, यथास्थिति, निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध होगी जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 तथा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्टतया प्रगणित है। 1908 का 5 1996 का 26

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी उच्च न्यायालय के लैटर्स पेटेंट में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ही होगी, अन्यथा नहीं।

अपीलों का शीघ्र निपटारा।

14. वाणिज्यिक अपील प्रभाग, उसके समक्ष फाइल की गई अपीलों का निपटारा, ऐसी अपील के फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, करने का प्रयास करेगा।

## अध्याय 5

## लंबित वादों का अन्तरण

लंबित मामलों का अन्तरण।

15. (1) किसी उच्च न्यायालय, में जहां किसी वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है, लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन आवेदन भी है, वाणिज्यिक प्रभाग को अन्तरित कर दिए जाएंगे। 1996 का 26

(2) किसी जिले या क्षेत्र के, जिसके संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया है, किसी सिविल न्यायालय में लंबित किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन आवेदन भी है, उस वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर दिए जाएंगे: 1996 का 26

परन्तु ऐसा कोई वाद या आवेदन, जिसमें वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किए जाने के पूर्व, न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आरक्षित रख दिया गया है, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन अन्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) जहां विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद से संबंधित कोई वाद या आवेदन, जिसके अन्तर्गत
1996 का 26 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन कोई आवेदन भी है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित हो जाता है, वहां इस अधिनियम के उपबंध उन प्रक्रियाओं के प्रति लागू होंगे जो उसके अन्तरण के समय पूरी नहीं हुई थीं।

(4) यथास्थिति, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय नई समय-सीमाएं विहित करने के लिए या
1908 का 5 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 14क के अनुसार ऐसे वाद या आवेदन के शीघ्र और प्रभावकारी निपटारे के लिए ऐसे और निदेश, जो आवश्यक हों, जारी करने के लिए ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन के संबंध में मामला प्रबंधन सुनवाइयां कर सकेगा:

1908 का 5 परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) का परन्तुक ऐसे अन्तरित वाद या आवेदन को लागू नहीं होगा और न्यायालय, अपने विवेकानुसार, ऐसी नई समयावधि विहित कर सकेगा जिसके भीतर लिखित कथन फाइल किया जाएगा।

(5) यदि ऐसा वाद या आवेदन उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अन्तरित नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपील प्रभाग, वाद के पक्षकारों में से किसी पक्षकार के आवेदन पर, उस न्यायालय से जिसके समक्ष वह लंबित है, ऐसा वाद या आवेदन प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे विचारण के लिए या उसका निपटारा करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसे वाद पर राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है और ऐसा अन्तरण आदेश अन्तिम और आबद्धकर होगा।

## अध्याय 6

## सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों का संशोधन

**सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 को वाणिज्यिक विवादों को लागू किए जाने के लिए संशोधन।**

1908 का 5 16. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद को लागू किए जाने के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन हो गए समझे जाएंगे।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध
1908 का 5 में किसी वाद के विचारण में, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों का पालन करेगा।

1908 का 5 (3) जहां उच्च न्यायालय की अधिकारिता के किसी नियम का या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी संशोधन का कोई उपबंध, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों के प्रतिकूल है, वहां इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध अभिभावी होंगे।

## अध्याय 7

## प्रकीर्ण

**वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों द्वारा डाटा का संग्रहण और प्रकटन।**

17. यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग के समक्ष फाइल किए गए वादों, आवेदनों, अपीलों या रिट याचिकाओं की संख्या, ऐसे लंबित मामलों की संख्या, ऐसे प्रत्येक मामले की प्रास्थिति और निपटाए गए मामलों की संख्या के बारे में सांख्यिकी डाटा, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग द्वारा रखा जाएगा और उसे प्रतिमास अद्यतन किया जाएगा और सुसंगत उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

निदेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

18. उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के अध्याय 2 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों की, जहां तक ऐसे उपबंध किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के प्रति लागू होते हैं, अनुपूर्ति के लिए पद्धति निदेश जारी कर सकेगा। 1908 का 5

अवसंरचना सुविधाएं।

19. राज्य सरकार वाणिज्यिक न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराएगी।

प्रशिक्षण और सतत् शिक्षा।

20. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऐसे न्यायाधीशों के, जिन्हें वाणिज्यिक न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग में नियुक्त किया जाए, प्रशिक्षण का उपबंध करने संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना कर सकेगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

21. इस अधिनियम के उपबंध, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

22. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

23. (1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 निरसित किया जाता है। 2015 का अध्यादेश संख्यांक 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

## अनुसूची

**(धारा 16 देखिए)**

1908 का 5

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 26 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 26 का संशोधन।

''परंतु ऐसा कोई शपथ-पत्र, आदेश 6, नियम 15क के अधीन यथाविहित प्ररूप और रीति में होगा।''।

2. संहिता की धारा 35 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 35 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'35. (1) न्यायालय को, किसी वाणिज्यिक विवाद के संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अवधारण करने का विवेकाधिकार है कि:— खर्चे।

(क) क्या खर्चे एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को संदेय हैं;

(ख) उन खर्चों की मात्रा; और

(ग) उनका संदाय कब किया जाना है।

**स्पष्टीकरण**—खंड (क) के प्रयोजन के लिए ''खर्चे'' पद से,—

(i) साक्षियों की उपगत फीस और व्ययों से;

(ii) उपगत विधिक फीस और व्ययों से;

(iii) कार्यवाहियों के संबंध में उपगत किन्हीं अन्य व्ययों से,

संबंधित युक्तियुक्त खर्चे अभिप्रेत हैं।

(2) यदि न्यायालय खर्चों के संदाय का आदेश करने का विनिश्चय करता है तो साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार को सफल पक्षकार के खर्चों का संदाय करने के लिए आदेशित किया जाएगा:

परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा कोई आदेश कर सकेगा, जो साधारण नियम से भिन्न है।

**दृष्टांत**

वादी अपने वाद में संविदा भंग के लिए किसी धन संबंधी डिक्री और नुकसानियों की ईप्सा करता है। न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि वादी धन संबंधी डिक्री का हकदार है। तथापि, उसका पुन: यह निष्कर्ष है कि नुकसानियों का दावा तुच्छ और तंग करने वाला है।

ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय, वादी के सफल पक्षकार होने के बावजूद नुकसानियों के लिए तुच्छ दावे करने के कारण वादी पर खर्चे अधिरोपित कर सकेगा।

(3) न्यायालय, खर्चों के संदाय का आदेश करते समय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा,—

(क) पक्षकारों का आचरण;

(ख) क्या कोई पक्षकार अपने मामले में सफल हुआ है, भले ही वह पक्षकार पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ हो;

(ग) क्या पक्षकार ने मामले के निपटारे में विलंब करने वाला कोई तुच्छ प्रतिदावा किया है;

(घ) क्या समझौता करने का एक पक्षकार द्वारा कोई युक्तियुक्त प्रस्ताव किया गया है और अन्य पक्षकार द्वारा उसको अयुक्तियुक्त रूप से इंकार किया गया है; और

(ङ) क्या पक्षकार द्वारा तुच्छ दावा किया गया है और न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए तंग करने वाली कार्यवाही संस्थित की गई है।

(4) ऐसे आदेशों में, जो न्यायालय द्वारा इस उपबंध के अधीन किए जा सकेंगे, ऐसा आदेश सम्मिलित होगा कि किसी पक्षकार को,—

(क) दूसरे पक्षकार के आनुपातिक खर्चों का;

(ख) दूसरे पक्षकार के खर्चों के संबंध में कथित रकम का;

(ग) किसी निश्चित तारीख से या निश्चित तारीख तक के खर्चों का ;

(घ) कार्यवाहियां आरंभ होने के पहले उपगत खर्चों का ;

(ङ) कार्यवाहियों में किए गए विशिष्ट उपायों से संबंधित खर्चों का ;

(च) कार्यवाहियों के किसी सुभिन्न भाग से संबंधित खर्चों का ; और

(छ) किसी निश्चित तारीख से या निश्चित तारीख तक के खर्चों पर ब्याज का,

संदाय करना होगा।'।

धारा 35क का संशोधन।

3. संहिता की धारा 35क की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

पहली अनुसूची का संशोधन।

4. संहिता की पहली अनुसूची में,—

(अ) आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चे का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।'';

(आ) आदेश 6 में,—

(i) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''3क. **वाणिज्यिक न्यायालयों में अभिवचन के प्ररूप**—किसी वाणिज्यिक विवाद में, जहां ऐसे वाणिज्यिक विवादों के प्रयोजनों के लिए बनाए गए उच्च न्यायालय नियमों या पद्धति निदेशों के अधीन अभिवचनों के प्ररूप विहित किए गए हैं, अभिवचन उन प्ररूपों में होंगे।'';

(ii) नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''15क. **वाणिज्यिक विवाद में अभिवचनों का सत्यापन**—(1) नियम 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक विवाद में प्रत्येक अभिवचन इस अनुसूची के परिशिष्ट में विहित रीति और प्ररूप में शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन कोई शपथ-पत्र कार्यवाहियों के पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा या ऐसे पक्षकार या पक्षकारों की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया जाता है कि

वह मामले के तथ्यों से परिचित है और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) जहां किसी अभिवचन में संशोधन किया जाता है, वहां जब तक न्यायालय अन्यथा आदेश न दे, संशोधनों को उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप और रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(4) जहां किसी अभिवचन को उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीति से सत्यापित नहीं किया जाता है, वहां पक्षकार को साक्ष्य के रूप में ऐसे अभिवचन पर या उसमें उपवर्णित विषयों में से किसी पर निर्भर होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) न्यायालय, किसी ऐसे अभिवचन को, जिसे सत्यता के कथन अर्थात् इस अनुसूची के परिशिष्ट में उपवर्णित शपथ-पत्र द्वारा सत्यापित नहीं कर दिया जाता है, काट सकेगा।";

(इ) आदेश 7 के नियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**2क. जहां वाद में ब्याज ईप्सित है**—(1) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन उपवर्णित ब्यौरे के साथ उस प्रभाव का एक कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(2) जहां वादी ब्याज की ईप्सा करता है, वहां वादपत्र में यह कथन किया जाएगा कि क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के अर्थान्तर्गत किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में ब्याज की ईप्सा कर रहा है और इसके अतिरिक्त, यदि वादी, ऐसा किसी संविदा के निबंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, तो उस दशा में वादपत्र में उस अधिनियम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा या यदि वह ऐसा किसी अन्य आधार पर कर रहा है तो उस आधार का कथन किया जाएगा। 1908 का 5

(3) अभिवचनों में निम्नलिखित का भी कथन किया जाएगा,—

(क) ऐसी दर, जिस पर ब्याज का दावा किया गया है;

(ख) ऐसी तारीख, जिससे उसका दावा किया गया है;

(ग) ऐसी तारीख, जिसको उसकी संगणना की गई है;

(घ) संगणना की तारीख को दावा किए गए ब्याज की कुल रकम; और

(ङ) दैनिक दर, जिस पर उस तारीख के पश्चात् ब्याज प्रोद्भूत होता है।";

(ई) आदेश 8 में,—

(i) नियम 1 के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा, उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्चों का, जो न्यायालय ठीक समझे, संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।";

(ii) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा,- अर्थात्:—

"**3क. उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में प्रतिवादी द्वारा प्रत्याख्यान**—(1) इस नियम के उपनियम (2), उपनियम (3),

उपनियम (4) और उपनियम (5) में उपबंधित रीति से प्रत्याख्यान किया जाएगा।

(2) प्रतिवादी अपने लिखित कथन में यह कथन करेगा कि वादपत्र की विशिष्टियों में किन अभिकथनों का वह प्रत्याख्यान करता है, किन अभिकथनों को वह स्वीकार करने या उनका प्रत्याख्यान करने में असमर्थ है किंतु जिनको वह वादी से साबित करने की अपेक्षा करता है और किन अभिकथनों को वह स्वीकार करता है।

(3) जहां प्रतिवादी किसी वादपत्र में तथ्य के किसी अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, वहां उसे ऐसा करने के अपने कारणों का कथन करना होगा और यदि उसका आशय वादी द्वारा जो घटनाओं का विवरण दिया गया है, उससे भिन्न विवरण पेश करने का है तो उसे अपने स्वयं के विवरण का कथन करना होगा।

(4) यदि प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता के प्रति विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो इस बारे में उसे अपना स्वयं का कथन करना होगा कि किस न्यायालय की अधिकारिता होनी चाहिए।

(5) यदि प्रतिवादी वादी के वाद के मूल्यांकन के प्रति विवाद करता है तो उसे ऐसा करने के कारणों का कथन करना होगा और यदि वह समर्थ है तो उसे वाद के मूल्य के बारे में अपना स्वयं का कथन करना होगा।";

(iii) नियम 5 के उपनियम (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि वादपत्र में तथ्य के प्रत्येक अभिकथन को, यदि इस आदेश के नियम 3क के अधीन उपबंधित रीति से उसका प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, तो निर्योग्यता के अधीन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन होने के सिवाय, स्वीकार किया जाने वाला माना जाएगा।";

(iv) नियम 10 के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि कोई न्यायालय, लिखित कथन फाइल करने के लिए इस आदेश के नियम 1 के अधीन उपबंधित समय बढ़ाने का आदेश नहीं करेगा।";

(उ) संहिता के आदेश 11 के स्थान पर, निम्नलिखित आदेश रखा जाएगा, अर्थात्:—

"आदेश 11

## उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वादों में दस्तावेजों का प्रकटन, प्रकटीकरण और निरीक्षण

दस्तावेजों का प्रकटन और प्रकटीकरण।

1. (1) वादी, वादपत्र के साथ वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां फाइल करेगा, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) ऐसे दस्तावेज, जो वादी द्वारा वादपत्र में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर उसने निर्भर किया है;

(ख) कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित दस्तावेज, जो वादपत्र फाइल किए जाने की तारीख को वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में है, इस बात पर विचार किए बिना कि वह वादी के पक्षकथन के समर्थन में है या उसके प्रतिकूल है;

(ग) इस नियम में की कोई बात वादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी जो केवल,—

(i) प्रतिवादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं; या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिवादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए है।

(2) वादपत्र के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं अथवा कार्यालय प्रतियां हैं, या फोटोप्रतियां हैं और सूची में प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपवर्णित किया जाएगा।

(3) वादपत्र में वादी की ओर से सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न कर दी गई हैं और वादी के पास उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

**स्पष्टीकरण**—इस उपनियम के अधीन सशपथ घोषणा परिशिष्ट में यथा उपवर्णित सत्यता के कथन में अंतर्विष्ट होगी।

(4) वादी शपथ-पत्र के अर्जेन्ट फाइल किए जाने की दशा में, उसका उपरोक्त घोषणा के भागरूप और न्यायालय द्वारा ऐसी इजाजत दिए जाने के अधीन रहते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों पर निर्भर करने की इजाजत की ईप्सा कर सकेगा और वादी, न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज सशपथ ऐसी घोषणा के साथ कि वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में के सभी दस्तावेज पेश कर दिए गए हैं और वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, वाद फाइल किए जाने के तीस दिन के भीतर फाइल करेगा।

(5) वादी को न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और उनका वादपत्र के साथ या ऊपर उपवर्णित विस्तारित अवधि के भीतर प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल वादी को वादपत्र के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(6) वादपत्र में ऐसे दस्तावेजों के ब्यौरों को उपवर्णित किया जाएगा जिनके बारे में वादी को यह विश्वास है कि वे प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर वादी निर्भर करना चाहता है और जिनको उक्त प्रतिवादी द्वारा उनके पेश किए जाने की इजाजत की ईप्सा करता है।

(7) प्रतिवादी, वाद से संबद्ध ऐसे सभी दस्तावेजों की सूची और ऐसे सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां, जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, लिखित कथन के साथ या उसके प्रतिदावे के साथ, यदि कोई हो, फाइल करेगा, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन पर वह निर्भर करता है;

(ख) कार्यवाही में प्रश्नगत किसी विषय से संबंधित ऐसे सभी दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, इस बात पर विचार किए बिना कि वे प्रतिवादी की प्रतिरक्षा के समर्थन में हैं या उसके प्रतिकूल;

(ग) इस नियम की कोई बात प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को और ऐसे दस्तावेजों को लागू नहीं होगी, जो केवल,—

(i) वादी के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं; या

(ii) वादपत्र फाइल किए जाने के पश्चात् वादी द्वारा किए गए किसी पक्षकथन का उत्तर देने के लिए सुसंगत हैं; या

(iii) किसी साक्षी को उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए हैं।

(8) लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की सूची में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या ऐसे दस्तावेज, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, मूल दस्तावेज हैं, कार्यालय प्रतियां हैं या फाटोप्रतियां हैं और सूची में प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए प्रत्येक दस्तावेज के पक्षकारों के ब्यौरे, प्रत्येक दस्तावेज के निष्पादन, जारी करने या उसकी प्राप्ति के ढंग और उसकी अभिरक्षा की पंक्ति को भी संक्षेप में उपवर्णित किया जाएगा।

(9) अभिसाक्षी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे में सशपथ यह घोषणा अंतर्विष्ट होगी कि उन दस्तावेजों के सिवाय, जो उपरोक्त उपनियम (7)(ग)(iii) में उपवर्णित हैं, ऐसे सभी दस्तावेजों का, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं, वादी द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों या प्रतिदावे में के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं, प्रकटन कर दिया गया है और उसकी प्रतियां लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ संलग्न कर दी गई हैं और यह कि प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

(10) प्रतिवादी को उपनियम (7)(ग)(iii) के सिवाय, ऐसे दस्तावेजों पर न्यायालय की इजाजत के सिवाय, निर्भर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जो प्रतिवादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिनका लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ प्रकटन नहीं किया गया था और ऐसी इजाजत केवल प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन या प्रतिदावे के साथ अप्रकटन के युक्तियुक्त कारण सिद्ध किए जाने पर ही दी जाएगी।

(11) लिखित कथन या प्रतिदावे में ऐसे दस्तावेजों के ब्यौरों को उपवर्णित किया जाएगा जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं और जिन पर प्रतिवादी निर्भर करना चाहता है और जिनका वादपत्र में प्रकटन नहीं किया गया है और जिनकी वादी द्वारा उन्हें पेश किए जाने की मांग की गई है।

(12) ऐसे दस्तावेजों के प्रकटन का कर्तव्य, जो किसी पक्षकार की जानकारी में आते हैं, वाद का निपटारा होने तक बना रहेगा।

**2. परिप्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण**—(1) किसी भी वाद में वादी या प्रतिवादी विरोधी पक्षकारों या ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक की परीक्षा करने के लिए लिखित परिप्रश्न न्यायालय की इजाजत से परिदत्त कर सकेगा और परिदत्त किए जाते समय परिप्रश्नों में यह पाद टिप्पण होगा कि ऐसे व्यक्तियों में से हर एक ऐसे परिप्रश्नों में से किनका उत्तर देने के लिए अपेक्षित है:

परंतु कोई भी पक्षकार एक ही पक्षकार को परिप्रश्न के एक संवर्ग से अधिक उस प्रयोजन के लिए आदेश के बिना परिदत्त नहीं करेगा:

परंतु यह और कि वे परिप्रश्न जो वाद में प्रश्नगत किन्हीं विषयों से संबंधित नहीं हैं, इस बात के होते हुए भी विसंगत समझे जाएंगे कि साक्षी की मौखिक प्रतिपरीक्षा करने में वे ग्राह्य होते।

(2) परिप्रश्नों के परिदान के लिए इजाजत के लिए आवेदन पर वे विशिष्ट परिप्रश्न, जिनका परिदान किए जाने की प्रस्थापना है, न्यायालय के समक्ष रख जाएंगे और वह न्यायालय उक्त आवेदन के फाइल किए जाने के दिन से सात दिन के भीतर विनिश्चय करेगा, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करने में न्यायालय किसी ऐसी प्रस्थापना पर भी विचार करेगा जो उस पक्षकार ने, जिससे

परिप्रश्न किया जाना है, प्रश्नगत बातों या उनमें से किसी से संबंधित विशिष्टियों को परिदत्त करने या स्वीकृतियां करने या दस्तावेज पेश करने के लिए की हों और उसके समक्ष रखे गए परिप्रश्नों में से केवल ऐसे परिप्रश्नों के संबंध में इजाजत दी जाएगी जिन्हें न्यायालय या तो वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चों में बचत करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) वाद के खर्चों का समायोजन करने में ऐसे परिप्रश्नों के प्रदर्शन के औचित्य के संबंध में जांच किसी पक्षकार की प्रेरणा पर की जाएगी और यदि विनिर्धारक अधिकारी या न्यायालय की राय, जांच के लिए आवेदन पर या ऐसे आवेदन के बिना, यह हो कि ऐसे परिप्रश्न अयुक्तियुक्तत: तंग करने के लिए या अनुचित विस्तार के साथ पेश किए गए हैं तो उक्त परिप्रश्नों और उनके उत्तरों के कारण हुए खर्चे किसी भी स्थिति में उस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे, जिसने यह कसूर किया है।

1908 का 5

(4) परिप्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 2 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होंगे, जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

(5) जहां वाद का कोई पक्षकार निगम या व्यक्तियों का ऐसा निकाय है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो विधि द्वारा सशक्त है कि स्वयं अपने नाम से या किसी अधिकारी के या अन्य व्यक्ति के नाम से वाद ला सके या उस पर वाद लाया जा सके वहां कोई भी विरोधी पक्षकार ऐसे निगम या निकाय के किसी भी सदस्य या अधिकारी को परिप्रश्न परिदत्त करने के लिए अपने को अनुज्ञा देने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और आदेश तद्नुसार किया जा सकेगा।

(6) किसी भी परिप्रश्न का उत्तर देने की बाबत इस आधार पर कि वह परिप्रश्न कलंकात्मक या विसंगत है या वाद के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक प्रदर्शित नहीं किया गया है या वे विषय, जिनके बारे में पूछताछ की गई है, उस प्रक्रम में पर्याप्त रूप से तात्विक नहीं हैं, या विशेषाधिकार के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, कोई भी आक्षेप उत्तर में दिए गए शपथ-पत्र में किया जा सकेगा।

(7) कोई भी परिप्रश्न इस आधार पर अपास्त किए जा सकेंगे कि वे अयुक्तियुक्त: या तंग करने के लिए प्रदर्शित किए गए हैं या इस आधार पर काट दिए जा सकेंगे कि वे अतिविस्तृत, पीड़ा पहुंचाने वाले, अनावश्यक या कलंकात्मक है और इस प्रयोजन के लिए कोई भी आवेदन परिप्रश्नों की तामील के पश्चात् सात दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(8) परिप्रश्नों का उत्तर शपथ-पत्र द्वारा दिया जाएगा, जो दस दिन के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर, जो न्यायालय अनुज्ञात करे, फाइल किया जाएगा।

1908 का 5

(9) परिप्रश्नों के उत्तर में दिया गया शपथ-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट ग के प्ररूप संख्यांक 3 में दिए गए प्ररूप में ऐसे फेरफार के साथ होगा जो परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

(10) उत्तर में दिए गए किसी शपथ-पत्र पर कोई भी आक्षेप नहीं किए जाएंगे, किन्तु ऐसे किसी शपथ-पत्र के अपर्याप्त होने का आक्षेप किए जाने पर उसका पर्याप्त होना या न होना न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति जिससे परिप्रश्न किया गया है उत्तर देने का लोप करता है या अपर्याप्त उत्तर देता है वहां परिप्रश्न करने वाला पक्षकार न्यायालय से इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उस पक्षकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह, यथास्थिति, उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे और उससे यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया जा सकेगा कि वह, न्यायालय द्वारा जैसा भी निदेश दिया जाए, या तो शपथ-पत्र द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा उत्तर दे या अतिरिक्त उत्तर दे।

निरीक्षण।

3. (1) सभी पक्षकार प्रकट किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण, लिखित कथन फाइल करने या प्रतिदावे का लिखित कथन फाइल करने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तीस दिन के भीतर पूरा करेंगे। न्यायालय आवेदन किए जाने पर इस समय-सीमा को अपने विवेकानुसार बढ़ा सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में ऐसा विस्तार तीस दिन से अधिक का नहीं होगा।

(2) कार्यवाहियों का कोई भी पक्षकार, कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, अन्य पक्षकार से ऐसे दस्तावेजों को, जिनके निरीक्षण के लिए उस पक्षकार द्वारा इंकार कर दिया गया है या उन दस्तावेजों को उन्हें पेश किए जाने की सूचना जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं किया गया है, उनका निरीक्षण करने या पेश करने के लिए न्यायालय से निदेश की ईप्सा कर सकेगा।

(3) ऐसे किसी आवेदन के संबंध में आदेश, ऐसा आवेदन फाइल किए जाने के, जिसके अन्तर्गत उत्तर और प्रत्युत्तर (यदि न्यायालय अनुज्ञात करे) फाइल करना और उनकी सुनवाई भी है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि उपरोक्त आवेदन अनुज्ञात किया जाता है तो ऐसे आदेश के पांच दिन के भीतर ईप्सा करने वाले पक्षकार को निरीक्षण और उसकी प्रतियां दी जाएंगी।

(5) किसी भी पक्षकार को, न्यायालय की इजाजत के सिवाय, ऐसे किसी दस्तावेज पर निर्भर होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसे वह प्रकट करने में असफल रहा है या जिसका निरीक्षण नहीं करने दिया गया है।

(6) न्यायालय किसी ऐसे व्यतिक्रमी पक्षकार के विरुद्ध, जो जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी वाद से संबंधित ऐसे या उस मामले में विनिश्चय के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को प्रकट करने में असफल रहा है और जो उसकी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा के अधीन थे या जहां कोई न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किन्हीं दस्तावेजों के निरीक्षण या उनकी प्रतियों को गलत तौर पर या अयुक्तियुक्त रूप से विधारित किया गया है या उससे इंकार किया गया है, निदर्शात्मक खर्चे अधिरोपित कर सकेगा।

दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रत्याख्यान।

4. (1) प्रत्येक पक्षकार उन सभी दस्तावेजों को, जो प्रकटित हैं और जिनका निरीक्षण पूरा हो गया है, निरीक्षण पूरा होने की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर या न्यायालय द्वारा यथा नियत किसी पश्चात्वर्ती तारीख को स्वीकृतियों या प्रत्याख्यानों का एक विवरण भेजेगा।

(2) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण में सुस्पष्ट रूप से यह उपवर्णित होगा कि क्या ऐसे पक्षकार ने निम्नलिखित की स्वीकृति दी है या उसका प्रत्याख्यान किया है,—

(क) दस्तावेज की अंतर्वस्तु की शुद्धता;

(ख) दस्तावेज का अस्तित्व;

(ग) दस्तावेज का निष्पादन;

(घ) दस्तावेज का जारी होना या प्राप्ति;

(ङ) दस्तावेज की अभिरक्षा।

**स्पष्टीकरण**—उपनियम (2)(ख) के अनुसार दस्तावेज के अस्तित्व की स्वीकृति या प्रत्याख्यान से संबंधित विवरण में दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं की स्वीकृति या उनका प्रत्याख्यान सम्मिलित होगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार उपरोक्त में से किसी आधार पर दस्तावेज के प्रत्याख्यान के कारणों को उपवर्णित करेगा और कोरे और असमर्थित प्रत्याख्यान को किसी दस्तावेज का प्रत्याख्यान नहीं समझा जाएगा और ऐसे दस्तावेजों के सबूत से न्यायालय के विवेकानुसार अभिमुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

(4) तथापि, कोई पक्षकार कोरे प्रत्याख्यान किसी ऐसे अन्य पक्षकार के दस्तावेजों के लिए पेश कर सकेगा जिनकी प्रत्याख्यान कर रहे पक्षकार को किसी भी प्रकार से, किसी रीति में उसकी कोई निजी जानकारी नहीं है, और जिसमें प्रत्याख्यान कर रहा पक्षकार कोई पक्षकार नहीं है।

(5) स्वीकृतियों और प्रत्याख्यानों के विवरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र, विवरण की अंतर्वस्तुओं की शुद्धता की पुष्टि करते हुए फाइल किया जाएगा।

(6) यदि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि किसी पक्षकार ने उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अधीन किसी दस्तावेज को ग्रहण करने से असम्यक् रूप से इंकार किया है, तो किसी दस्तावेज की ग्राह्यता का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय द्वारा उस पक्षकार पर खर्चे (जिसमें निदर्शात्मक खर्चे भी हैं) अधिरोपित किए जा सकेंगे ।

(7) न्यायालय, गृहीत दस्तावेजों के, जिनके अंतर्गत उस पर और सबूत का अधित्यजन या किन्हीं दस्तावेजों का अस्वीकार करना भी है, आदेश पारित कर सकेगा।

दस्तावेजों का पेश किया जाना ।

5. (1) किसी कार्यवाही का कोई पक्षकार किसी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय किसी पक्षकार या व्यक्ति द्वारा, ऐसे दस्तावेजों को, जो उस पक्षकार या व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसे वाद के किसी प्रश्नगत विषय के संबंध में पेश करने की ईप्सा कर सकेगा या न्यायालय ऐसा आदेश कर सकेगा।

1908 का 5

(2) ऐसे दस्तावेज को पेश करने की सूचना सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के परिशिष्ट ग के प्ररूप सं॰ 7 में उपबंधित प्ररूप में जारी की जाएगी।

(3) किसी भी ऐसे पक्षकार या व्यक्ति को, जिसे दस्तावेज पेश करने की सूचना जारी की गई है, ऐसे दस्तावेज को पेश करने या ऐसे दस्तावेज को पेश करने की अपनी असमर्थता बताने के लिए सात दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अनधिक का समय दिया जाएगा।

(4) न्यायालय, दस्तावेज, पेश करने की सूचना जारी होने के पश्चात्, ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इंकार करने वाले और जहां इस प्रकार दस्तावेज पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं, किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकेगा और खर्चों के बारे में आदेश कर सकेगा।

इलैक्ट्रानिक अभिलेख।

6. (1) इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों के प्रकटन और निरीक्षण की दशा में [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित, मुद्रित प्रति देना] उपर्युक्त उपबंधों की अनुपालना के लिए पर्याप्त होगा।

2000 का 21

(2) पक्षकारों के विवेक पर या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार दृश्य-श्रव्य अंतर्वस्तु पर निर्भर करने के इच्छुक हो) इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की प्रतियां या तो मुद्रित प्रति के अतिरिक्त या उसके बदले में इलैक्ट्रोनिक रूप में दी जा सकेंगी।

(3) जहां इलैक्ट्रोनिक अभिलेख प्रकटित दस्तावेजों के भागरूप हैं, वहां किसी पक्षकार द्वारा फाइल की जाने वाली सशपथ घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

(क) ऐसे इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के पक्षकार;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलैक्ट्रोनिक अभिलेख पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था;

(ग) ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के तैयार किए जाने या भंडारण या जारी अथवा प्राप्त किए जाने की तारीख और समय;

(घ) ऐसे इलैक्ट्रोनिक अभिलेख का स्रोत और वह तारीख और समय, जब इलैक्ट्रोनिक अभिलेख मुद्रित किया गया था;

(ङ) ई-मेल आईडी की दशा में, ऐसे ई-मेल आईडी के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(च) किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर भंडारित (जिसके अंतर्गत बाह्यसर्वर या क्लाउड भी है) दस्तावेजों की दशा में, कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर ऐसे डाटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(छ) अभिसाक्षी की अंतर्वस्तुओं की और अंतर्वस्तुओं की सत्यता की जानकारी;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेजों या डाटा को तैयार करने या प्राप्त करने या भंडारित करने के लिए प्रयुक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत उचित रूप से कार्य कर रहा था या अपक्रिया की दशा में ऐसी अपक्रिया से भंडारित दस्तावेज की अंतर्वस्तुएं प्रभावित नहीं हुईं;

(झ) दी गई मुद्रित प्रति या प्रति मूल कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत से ली गई थी।

(4) किसी इलैक्ट्रोनिक अभिलेख की मुद्रित प्रति या इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रति पर निर्भर करने वाले पक्षकारों से इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के निरीक्षण कराए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परंतु यह तब जब ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जो पेश की गई है, मूल इलैक्ट्रोनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर इलैक्ट्रोनिक अभिलेख की ग्राह्यता के लिए निदेश दे सकेगा।

(6) कोई भी पक्षकार न्यायालय से निदेश की ईप्सा कर सकेगा और न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा पर किसी इलैक्ट्रोनिक अभिलेख का, जिसके अंतर्गत मेटाडाटा या लॉग्स भी है, इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के ग्रहण किए जाने के पूर्व अतिरिक्त सबूत पेश करने का निदेश जारी कर सकेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों का लागू न होना।

7. शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 13, नियम 1, आदेश 7, नियम 14 और आदेश 8, नियम 1क उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभागों या वाणिज्यिक न्यायालयों के समक्ष वादों या आवेदनों को लागू नहीं होंगे।''। 1908 का 5

नए आदेश 13क का अंत:स्थापन।

5. संहिता के आदेश 13 के पश्चात् निम्नलिखित आदेश अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'आदेश 13क

**संक्षिप्त निर्णय**

ऐसे वादों की व्याप्ति और वर्ग, जिनको यह आदेश, लागू होता है।

1. (1) इस आदेश में वह प्रक्रिया उपवर्णित है, जिसके द्वारा कोई न्यायालय मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किए बिना किसी वाणिज्यिक विवाद से संबंधित किसी दावे का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, ''दावा'' शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) किसी दावे का भाग;

(ख) कोई विशिष्ट प्रश्न, जिस पर दावा (चाहे पूर्ण रूप में या भागत:) निर्भर है; या

(ग) यथास्थिति, कोई प्रतिदावा।

(3) इस आदेश के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई आवेदन, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी वाणिज्यिक विवाद की बाबत किसी ऐसे वाद में नहीं किया जाएगा, जो मूल रूप से आदेश 37 के अधीन किसी संक्षिप्त वाद के रूप में फाइल किया गया है।

संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन का प्रक्रम।

2. आवेदक, प्रतिवादी पर समन की तामील किए जाने पश्चात् किसी भी समय संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन कर सकेगा:

परंतु ऐसे आवेदक द्वारा,संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई आवेदन, वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

संक्षिप्त निर्णय के लिए आधार।

3. न्यायालय किसी दावे पर किसी वादी या प्रतिवादी के विरुद्ध संक्षिप्त निर्णय दे सकेगा यदि उसका यह विचार है कि,—

(क) यथास्थिति, वादी के दावे पर सफल होने की वास्तविक संभावना नहीं है या प्रतिवादी द्वारा दावे का सफलतापूर्वक प्रतिवाद करने की वास्तविक संभावना नहीं है; और

(ख) इस बात का कोई अन्य बाध्यकारी कारण नहीं है कि दावे का मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने के पहले निपटारा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया।

4. (1) न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय के लिए किए गए किसी आवेदन में, ऐसे किन्हीं विषयों के अतिरिक्त, जिन्हें आवेदक सुसंगत समझे, इसके अन्तर्गत नीचे वर्णित उपखंड (क) से उपखण्ड (च) में वर्णित विषय होंगे—

(क) आवेदन में इस बात का कथन अवश्य अंतर्विष्ट होना चाहिए कि यह आवेदन इस आदेश के अधीन संक्षिप्त निर्णय के लिए किया गया है;

(ख) आवेदन में प्रमितत: सभी तात्विक तथ्य अवश्य प्रकट किए जाने चाहिएं और विधि के प्रश्न, यदि कोई हों, की पहचान की जानी चाहिए;

(ग) यदि आवेदक, किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की ईप्सा करता है तो आवेदक द्वारा अवश्य—

(i) अपने आवेदन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की सुसंगत अन्तर्वस्तु की पहचान की जानी चाहिए जिस पर आवेदक निर्भर करता है;

(घ) आवेदन में अवश्य इस बात के कारण बताएगा कि, यथास्थिति, दावे में सफल होने या दावे का प्रतिवाद करने की वस्तुत: कोई संभावनाएं क्यों नहीं हैं;

(ङ) आवेदन में अवश्य इस बात का उल्लेख कि आवेदक किस अनुतोष की ईप्सा कर रहा है और उसमें ऐसे अनुतोष की ईप्सा करने का संक्षिप्त कथन किया जाना चाहिए।

(2) जहां संक्षिप्त निर्णय के लिए कोई सुनवाई नियत कर दी जाती है, वहां प्रत्यर्थी को कम से कम तीस दिन की सूचना निम्नलिखित के बारे में अवश्य दी जानी चाहिए—

(क) सुनवाई के लिए नियत तारीख; और

(ख) दावा, जिसका ऐसी सुनवाई में न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रत्यर्थी, संक्षिप्त निर्णय के आवेदन की सूचना या सुनवाई की सूचना की प्राप्ति (जो भी पूर्वत्तर हो) के तीस दिन के भीतर ऐसे किन्हीं अन्य विषयों के अतिरिक्त, जिन्हें प्रत्यर्थी सुसंगत समझता है नीचे वर्णित खंड (क) से खंड (च) में वर्णित विषयों के प्रति उत्तर दे सकेगा—

(क) उत्तर में प्रमितत:—

(i) सभी तात्विक तथ्य अवश्य प्रकट किए जाने चाहिएं;

(ii) विधि के प्रश्न की, यदि कोई हो, अवश्य पहचान की जाएगी; और

(iii) वे कारण अवश्य बताए जाने चाहिए कि आवेदक द्वारा ईप्सित अनुतोष क्यों मंजूर नहीं किया जाना चाहिए;

(ख) यदि प्रत्यर्थी अपने उत्तर में किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की ईप्सा करता है तो प्रत्यर्थी द्वारा अवश्य,—

(i) अपने उत्तर में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य सम्मिलित किए जाने चाहिएं; और

(ii) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की सुसंगत अन्तर्वस्तु की पहचान की जानी चाहिए जिस पर प्रत्यर्थी निर्भर करता है;

(ग) उत्तर में इस बात के कारण अवश्य बताए जाने चाहिएं कि, यथास्थिति, दावे में सफल होने या दावे का प्रतिवाद करने की वस्तुत: कोई संभावनाएं क्यों हैं;

(घ) उत्तर में प्रमितत: उन विवाद्यकों का कथन अवश्य होना चाहिए, जो विचारण के लिए विरचित किए जाने चाहिएं;

(ङ) उत्तर में इस बात की पहचान अवश्य की जानी चाहिए कि विचारण पर ऐसा कौन सा अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लाया जाएगा जो संक्षिप्त निर्णय के प्रक्रम पर अभिलेख पर नहीं लाया जा सका; और

(च) उत्तर में यह अवश्य कथन होना चाहिए कि अभिलेखबद्ध साक्ष्य या सामग्री, यदि कोई हो, के प्रकाश में न्यायालय को संक्षिप्त निर्णय की कार्यवाही क्यों नहीं करनी चाहिए।

संक्षिप्त निर्णय की सुनवाई के लिए साक्ष्य।

5. (1) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रत्यर्थी संक्षिप्त निर्णय के किसी आवेदन में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की इच्छा करता है, तो प्रत्यर्थी को —

(क) ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य फाइल करना चाहिए, और

(ख) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियां, आवेदन के प्रत्येक अन्य पक्षकार पर, सुनवाई की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, अवश्य तामील करनी चाहिए।

(2) इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, यदि संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदक, प्रतिवादी के दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर में दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करने की इच्छा करता है, तो आवेदक को—

(क) उत्तर में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य फाइल करना चाहिए, और

(ख) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की प्रति की प्रत्यर्थी पर, सुनवाई की तारीख से कम से कम पांच दिन पूर्व, अवश्य तामील करनी चाहिए।

(3) तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (1) और उपनियम (2) में, दस्तावेजी साक्ष्य —

(क) फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही फाइल किया जा चुका है; या

(ख) उस पक्षकार पर तामील करना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उसकी पहले ही तामील की जा चुकी है।

आदेश, जो न्यायालय द्वारा किए जा सकेंगे।

6. (1) इस आदेश के अधीन किए गए किसी आवेदन पर, न्यायालय, ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह स्वविवेकानुसार उचित समझे, जिसमें निम्नलिखित भी हैं,—

(क) दावे पर निर्णय का आदेश;

(ख) इसमें नीचे वर्णित नियम 7 के अनुसार सशर्त आदेश;

(ग) आवेदन को खारिज करने का आदेश;

(घ) दावे के भाग को खारिज करने का और दावे के भाग पर निर्णय का आदेश जो कि खारिज नहीं किया गया है;

(ङ) अभिवचनों को (चाहे पूर्णत: या भागत:) हटाने का आदेश; या

(च) आदेश 15क के अधीन वाद प्रबंधन के लिए कार्यवाही करने और निदेश देने का आदेश।

(2) जहां न्यायालय उपनियम (1)(क) से उपनियम (1) (च) में उपवर्णित आदेशों में से कोई आदेश करता है, वहां न्यायालय ऐसा आदेश करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

सशर्त आदेश।

7. (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इस बात की संभावना है कि दावा या प्रतिवाद सफल हो जाए किंतु यह अनधिसंभाव्य है कि वह ऐसा करेगा, वहां न्यायालय नियम 6(1)(ख) में यथा उपवर्णित कोई सशर्त आदेश कर सकेगा।

(2) जहां न्यायालय कोई सशर्त आदेश करता है, वहां वह—

(क) ऐसा निम्नलिखित सभी शर्तों या उनमें से किसी के अधीन रहते हुए कर सकेगा,—

(i) पक्षकार से न्यायालय में धनराशि जमा करने की अपेक्षा करना;

(ii) पक्षकार से, यथास्थिति, दावे या प्रतिवाद के संबंध में विनिर्दिष्ट कदम उठाने की अपेक्षा करना;

(iii) पक्षकार से खर्चों के वापस करने के लिए, यथास्थिति, ऐसी प्रतिभूति देने या ऐसी प्रतिभूति की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना, जो न्यायालय ठीक और उचित समझे;

(iv) ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित करना, जिनके अंतर्गत ऐसी हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए, जो किसी पक्षकार को वाद के लंबित रहने के दौरान होने की संभावना है, ऐसी प्रतिभूति देगा, जो न्यायालय स्वविवेकानुसार ठीक समझे; और

(ख) सशर्त आदेश के अनुपालन में असफल रहने के परिणामों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अंतर्गत ऐसे पक्षकार के विरुद्ध निर्णय पारित करना भी है जिसने सशर्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

खर्चे अधिरोपित करने की शक्ति।

8. न्यायालय, संहिता की धारा 35 और धारा 35क के उपबंधों के अनुसार संक्षिप्त निर्णय के किसी आवेदन में खर्चों के संदाय का आदेश कर सकेगा।

आदेश 15 का लोप।

6. संहिता के आदेश 15 का लोप किया जाएगा।

आदेश 15क का अंत:स्थापन।

7. संहिता के आदेश 15 के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"आदेश 15क

## मामला प्रबंधन सुनवाई

प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई।

1. न्यायालय प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई, वाद के सभी पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों की स्वीकृति का या उनके प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र फाइल करने की तारीख से चार सप्ताह के अपश्चात् करेगा।

मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित किए जाने वाले आदेश।

2. मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और जब न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इसमें ऐसे तथ्य और विधि विषयक् विवाद्यक हैं, जिन पर विचारण किया जाना अपेक्षित है, तो वह—

(क) अभिवचनों, दस्तावेजों और उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की परीक्षा करने के पश्चात् और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 10 के नियम 2 के अधीन न्यायालय द्वारा की गई परीक्षा पर यदि अपेक्षित हो, आदेश 14 के अनुसार पक्षकारों के बीच विवाद्यकों को विरचित करने वाला;

1908 का 5

(ख) उन साक्षियों को, जिनकी पक्षकारों द्वारा परीक्षा की जानी है, सूचीबद्ध करने वाला;

(ग) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक साक्ष्य का शपथ-पत्र पक्षकारों द्वारा फाइल किया जाना है;

(घ) वे तारीखें नियत करने वाला, जिनको पक्षकारों के साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है;

(ङ) वह तारीख नियत करने वाला, जिस तक पक्षकारों द्वारा लिखित तर्क न्यायालय के समक्ष फाइल,किए जाने हैं;

(च) वह तारीख नियत करने वाला, जिसकी मौखिक बहस न्यायालय द्वारा सुनी जानी है; और

(छ) मौखिक बहस के लिए पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के लिए समय सीमाएं तय करने वाला,

आदेश पारित कर सकेगा।

विचारण पूरा करने की समय सीमा।

3. इस आदेश के नियम 2 के प्रयोजनों के लिए तारीखें नियत करने या समय सीमाएं तय करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बहस प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख से छह मास तक पूरी की जाए।

दिन प्रतिदिन आधार पर मौखिक साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना।

4. न्यायालय यथासंभव यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य का अभिलेख दिन प्रतिदिन आधार पर तब तक किया जाएगा, जब तक कि सभी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा पूरी नहीं हो जाती है।

विचारण के दौरान मामला प्रबंधन सुनवाई।

5. न्यायालय, यदि आवश्यक हो, समुचित आदेश जारी करने के लिए विचारण के दौरान किसी भी समय मामला प्रबंधन सुनवाइयां भी कर सकेगा जिससे नियम 2 के अधीन नियत तारीखों का पक्षकारों द्वारा पालन सुनिश्चित किया जा सके और वाद के त्वरित निपटान को सुकर बनाया जा सके।

मामला प्रबंधन सुनवाई में न्यायालय की शक्तियां।

6. (1) इस आदेश के अधीन हुई किसी मामला प्रबंधन सुनवाई में, न्यायालय को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी—

(क) विवाद्यकों को विरचित करने से पूर्व, आदेश 13क के अधीन पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए लंबित आवेदन पर सुनवाई करना तथा उस पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे दस्तावेजों या अभिवचनों के संकलन को, जो विवाद्यकों को विरचित करने के लिए सुसंगत तथा आवश्यक हों, फाइल करने के लिए पक्षकारों को निदेश देना;

(ग) किसी पद्धति, निदेश या न्यायालय आदेश का अनुपालन करने के लिए समय बढ़ाना या उसे कम करना, यदि उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है;

(घ) सुनवाई को स्थगित करना या अग्रनीत करना, यदि न्यायालय को ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाई पड़ता है;

(ङ) आदेश 10 के नियम 2 के अधीन परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पक्षकार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए निदेश देना;

(च) कार्यवाहियों को समेकित करना;

(छ) किसी साक्षी के नाम अथवा ऐसे साक्ष्य को हटाना, जिसे वह विरचित विवाद्यकों के प्रति असंगत समझे;

(ज) किसी विवाद्यक के पृथक् विचारण का निदेश देना;

(झ) ऐसे आदेश का विनिश्चय करना, जिसमें विवाद्यक पर विचारण किया जाएगा;

(ञ) किसी विवाद्यक को उस पर विचार किए जाने से अपवर्जित करना;

(ट) प्रारंभिक विवाद्यक पर विनिश्चय के पश्चात् किसी दावे को खारिज करना या उस पर निर्णय देना;

(ठ) आदेश 26 के अनुसार जहां आवश्यक हो, किसी कमीशन द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने का निदेश देना;

(ड) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए ऐसे साक्ष्य के किसी शपथ-पत्र को, जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, नामंजूर करना;

(ढ) पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए साक्ष्य के शपथ-पत्र के किसी भाग को जिसमें असंगत, अग्राह्य या तर्कात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट है, हटाना;

(ण) साक्ष्य के अभिलेखन कार्य इस प्रयोजन के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(त) किसी कमीशन या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य अभिलेखन को मॉनीटर करने से संबंधित कोई आदेश पारित करना;

(थ) किसी पक्षकार को खर्चे के बजट को फाइल करने तथा उसका आदान-प्रदान करने के लिए आदेश देना;

(द) मामले का प्रबंधन करने और वाद के दक्षतापूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के अध्यारोही उद्देश्य को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी करना या कोई आदेश पारित करना।

(2) जब न्यायालय इस आदेश के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता है तो वह,—

(क) ऐसा आदेश, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिनमें एक शर्त न्यायालय में धनराशि का संदाय करने का भी है, कर सकेगा; और

(ख) आदेश या किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) मामला प्रबंधन सुनवाई की तारीख नियत करते समय, यदि न्यायालय का यह मत है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना है तो वह ऐसी मामला प्रबंधन सुनवाई में पक्षकारों को भी उपस्थित रहने का निदेश दे सकेगा।

**मामला प्रबंधन सुनवाई का स्थगन।**

7. (1) न्यायालय मात्र इस कारण से कि किसी पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाला अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, मामला प्रबंधन सुनवाई स्थगित नहीं करेगा:

परन्तु यदि सुनवाई के स्थगन की ईप्सा अग्रिम में आवेदन करके की जाती है, तो न्यायालय ऐसे आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा ऐसे खर्चे के संदाय पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा।

(2) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति का न्यायोचित कारण है तो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, सुनवाई को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकेगा।

**आदेशों के अनुपालन के परिणाम।**

8. जहां कोई पक्षकार मामला प्रबंधन सुनवाई में पारित न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति होगी,—

(क) न्यायालय को, खर्चों के संदाय पर, ऐसे अननुपालन को माफ करना;

(ख) विचारण में, यथास्थिति, अनुपालन न करने वाले पक्षकार के शपथ-पत्र फाइल करने, साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने, लिखित निवेदन फाइल करने, मौखिक बहस करने या आगे और तर्क देने के अधिकार को पुरोबंध करना; या

(ग) जहां ऐसा अननुपालन जानबूझकर किया गया है, पुन: किया गया है और खर्चे का अधिरोपण, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वादपत्र को खारिज करना या वाद को मंजूर करना।''।

आदेश 18 का संशोधन।

8. संहिता के आदेश 18 में, नियम 2 के उपनियम (3क), उपनियम (3ख), उपनियम (3ग), उपनियम (3घ), उपनियम (3ङ) और उपनियम (3च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3क) कोई पक्षकार मौखिक बहस आरंभ होने से पूर्व चार सप्ताह के भीतर न्यायालय को अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न शीर्षों के अधीन लिखित तर्क पेश करेगा और ऐसे लिखित तर्क अभिलेख का भाग होंगे।

(3ख) लिखित तर्कों में तर्कों के समर्थन में उद्धृत की जा रही विधियों के उपबंधों तथा पक्षकार द्वारा जिन निर्णयों के उद्धरणों पर निर्भर किया जा रहा है, उनको स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा और उसमें पक्षकार द्वारा निर्भर किए जा रहे ऐसे निर्णयों की प्रतियां होंगी।

(3ग) ऐसे लिखित तर्कों की प्रति उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी।

(3घ) न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है तो बहस के समाप्त हो जाने पर, बहस की समाप्ति की तारीख के पश्चात् एक सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर पुनरीक्षित लिखित तर्क फाइल करने के लिए पक्षकारों को अनुज्ञात कर सकेगा।

(3ङ) लिखित तर्क फाइल करने के प्रयोजन के लिए कोई स्थगन तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा स्थगन मंजूर करना वह आवश्यक न समझे।

(3च) न्यायालय मामले की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए मौखिक निवेदनों के लिए समय को सीमित करने के लिए स्वतंत्र होगा।"।

आदेश 18 का संशोधन।

9. संहिता के आदेश 18 के नियम 4 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(1क) सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ-पत्र, जिनका किसी पक्षकार द्वारा साक्ष्य दिया जाना प्रस्तावित है, प्रथम मामला प्रबंधन सुनवाई में निर्दिष्ट समय पर उस पक्षकार द्वारा समसामयिक रूप से फाइल किए जाएंगे।

(1ख) कोई पक्षकार किसी साक्षी का (जिसके अंतर्गत ऐसा साक्षी भी है, जो पहले ही शपथ-पत्र फाइल कर चुका है) शपथ-पत्र द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य तब तक पेश नहीं करेगा, जब तक उस प्रयोजन के लिए आवेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिया जाता है और न्यायालय द्वारा ऐसे अतिरिक्त शपथ-पत्र को अनुज्ञात करने का कारण देते हुए आदेश पारित नहीं किया जाता है।

(1ग) तथापि, किसी पक्षकार को उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा प्रारम्भ होने से पहले किसी समय पर इस प्रकार फाइल किए गए किन्हीं शपथ-पत्रों के ऐसे प्रत्याहरण के आधार पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले बिना प्रत्याहरण का अधिकार होगा:

परंतु कोई अन्य पक्षकार साक्ष्य देने का हकदार होगा और ऐसे प्रत्याहृत शपथ-पत्र में की गई किसी स्वीकृति पर निर्भर करने का हकदार होगा।"।

आदेश 19 का संशोधन।

10. संहिता के आदेश 19 के नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

न्यायालय साक्ष्य नियंत्रित कर सकेगा।

"4. (1) न्यायालय, निदेशों द्वारा, ऐसे विवाद्यकों के बारे में, जिनमें साक्ष्य अपेक्षित है, साक्ष्य को और ऐसी रीति को, जिससे ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा, विनियमित कर सकेगा।

(2) न्यायालय, स्वविवेकानुसार और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित कर सकेगा, जो पक्षकारों द्वारा अन्यथा पेश किया जाए।

साक्ष्य का संशोधन या खारिज किया जाना।

5. न्यायालय, स्वविवेकानुसार ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं,—

(i) मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र के ऐसे भाग का, जिससे उसकी दृष्टि में साक्ष्य का गठन नहीं होता है, संशोधन कर सकेगा या संशोधन करने का आदेश कर सकेगा; या

(ii) ऐसे मुख्य परीक्षा शपथ-पत्र को, जिससे ग्राह्य साक्ष्य का गठन नहीं होता है, वापस या खारिज कर सकेगा।

6. किसी शपथ-पत्र में नीचे दिए गए प्ररूप और अपेक्षाओं का अनुपालन होगा: साक्ष्य के शपथ-पत्र का रूपविधान और मार्गदर्शक सिद्धान्त।

(क) ऐसा शपथ-पत्र ऐसी तारीखों और घटनाओं तक, जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत हैं, सीमित होगा और उसमें उन तारीखों और घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार अनुसरण करना होगा जो किसी तथ्य या उससे संबंधित किसी अन्य विषय को साबित करने के लिए सुसंगत है;

(ख) जहां न्यायालय का यह मत है कि शपथ-पत्र केवल अभिवचनों का पुन: पेश किया जाना है या उसमें किन्हीं पक्षकारों के पक्षकथनों के विधिक आधार अन्तर्विष्ट हैं, वहां न्यायालय, आदेश द्वारा शपथ-पत्र या शपथ-पत्र के ऐसे भागों को, जो वह ठीक और उपयुक्त समझे, काट सकेगा:

(ग) शपथ-पत्र का प्रत्येक पैरा, यथासंभव, विषय के सुभिन्न भाग तक सीमित होना चाहिए;

(घ) शपथ-पत्र में यह कथन होगा कि:

(i) इसमें के कौन से कथन अभिसाक्षी ने निजी ज्ञान से किए गए हैं और कौन से सूचना और विश्वास के विषय हैं; और

(ii) सूचना या विश्वास के किन्हीं विषयों के स्रोत का कथन होगा;

(ङ) (i) शपथ-पत्र के पृष्ठों को पृथक् दस्तावेज के रूप में (या किसी एक फाइल में अंतर्विष्ट विभिन्न दस्तावेजों को एक रूप में) क्रमवर्ती रूप से संख्यांकित होना चाहिए;

(ii) शपथ-पत्र संख्यांकित पैरा में विभाजित होना चाहिए;

(iii) शपथ-पत्र में सभी संख्याओं को, जिनके अन्तर्गत तारीखें भी हैं, अंकों में अभिव्यक्त किया गया होना चाहिए; और

(iv) यदि शपथ-पत्र के पाठ में निर्दिष्ट दस्तावेजों में से किसी को किसी शपथ-पत्र या किन्हीं अन्य अभिवचनों से उपाबद्ध किया जाता है तो ऐसे उपाबंधों और ऐसे दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर किया जाता है, पृष्ठ संख्याएं देनी चाहिए।''।

11. संहिता के आदेश 20 के नियम 1 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:— आदेश 20 का संशोधन।

''(1) यथास्थिति, वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपील प्रभाग, बहस के समाप्त होने के नब्बे दिन के भीतर निर्णय सुनाएगा और विवाद के सभी पक्षकारों को इलैक्ट्रानिक मेल के माध्यम से या अन्यथा उनकी प्रतियां जारी करेगा।''।

# शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 3)

[14 मार्च, 2017]

**शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह 7 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

**धारा 2 का संशोधन।**

1968 का 34

2. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 2 में,—

(i) खंड (ख) में—

(I) ''शत्रु प्रजा'' शब्दों के स्थान पर, ''शत्रु प्रजा, जिसके अंतर्गत उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी, चाहे भारत का नागरिक है या नहीं या किसी ऐसे देश का नागरिक, जो शत्रु नहीं है या शत्रु, शत्रु प्रजा या उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी, जिसने अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित कर ली है'' शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(II) ''शत्रु फर्म'' शब्दों के स्थान पर, ''शत्रु फर्म, जिसके अंतर्गत उसकी उत्तरवर्त्ती फर्म भी है, चाहे ऐसी उत्तरवर्ती फर्म के भागीदार या सदस्य, भारत के नागरिक हों या नहीं या किसी ऐसे देश का नागरिक, जो शत्रु नहीं है या ऐसी फर्म जिसने अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित कर ली है'' शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(III) ''इसके अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं आता है'' शब्दों के स्थान पर, 'इसके अंतर्गत भारत के उन नागरिकों से, जो ''शत्रु'' या ''शत्रु प्रजा'' या ''शत्रु फर्म'' के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी हैं, भिन्न भारत का नागरिक नहीं आता है' शब्द रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(IV) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण** 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''इसके अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं आता है'' पद से भारत के उन नागरिकों को अपवर्जित किया जाएगा और सदैव अपवर्जित किया गया समझा जाएगा, जो ऐसे किसी ''शत्रु'' या किसी ''शत्रु प्रजा'' या किसी ''शत्रु फर्म'' के विधिक वारिस और उत्तराधिकारी हैं या रहे हैं, जो मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रहे हैं या उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है।

**स्पष्टीकरण** 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात इस खंड में निर्दिष्ट विधिक वारिस और उत्तराधिकारी (जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों) के किसी ऐसे अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जो उसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदत्त किया गया है।';

(ii) खंड (ग) के परंतुक में,—

''ऐसे राज्यक्षेत्रों में मृत्यु हो जाती है, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है'' शब्दों के पश्चात् ''या भारत के बाहर किसी भी राज्यक्षेत्र में मृत्यु हो जाती है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण** 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ''शत्रु संपत्ति'' इस बात के होते हुए भी कि शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म, मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रही है या उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, शत्रु संपत्ति बनी रहेगी और सदैव बनी रही समझी जाएगी।

**स्पष्टीकरण** 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''शत्रु संपत्ति'' पद से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत, ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार, हक और हित या उससे उद्भूत होने वाला कोई भी फायदा होगा तथा सदैव उसका ऐसा अभिप्राय और उसके अंतर्गत होना समझा जाएगा।'।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'(3) अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति, इस बात के होते हुए भी कि शत्रु या शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म मृत्यु, निर्वापन, कारबार के परिसमापन या राष्ट्रीयता के परिवर्तन के कारण शत्रु नहीं रही है या उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भारत का नागरिक है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति'' में इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित ऐसी संपत्ति में सभी अधिकार, हक और हित या उससे उद्भूत कोई फायदे सम्मिलित होंगे और सदैव सम्मिलित हुए समझे जाएंगे।'।

नई धारा 5क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभिरक्षक द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जाना।

''5क. अभिरक्षक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि आदेश में वर्णित शत्रु या शत्रु-प्रजा या शत्रु-फर्म की संपत्ति इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित है और इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और ऐसा प्रमाणपत्र उसमें कथित तथ्यों का साक्ष्य होगा।''।

नई धारा 5ख का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 5क (जो इस अधिनियम की धारा 4 द्वारा इस प्रकार अंत:स्थापित की गई है) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

शत्रु संपत्ति को उत्तराधिकार विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा का लागू न होना।

'5ख. उत्तराधिकार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या संपत्ति के उत्तराधिकार को शासित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन शत्रु सम्पत्ति के संबंध में लागू नहीं होगी और किसी व्यक्ति का (जिसके अंतर्गत उसका विधिक वारिस और उत्तराधिकारी भी है) ऐसी शत्रु संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार (जिसके अंतर्गत सभी अधिकार, हक और हित या ऐसी संपत्ति से उद्भूत कोई फायदा भी है) नहीं होगा और कोई अधिकार होना नहीं समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''रूढ़ि'' और ''प्रथा'' पद किसी ऐसे नियम को संज्ञापित करते हैं, जिसने संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में, लंबे समय तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालन किए जाने के कारण, विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है।'।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

किसी शत्रु, शत्रु-प्रजा या शत्रु फर्म द्वारा अभिरक्षक में निहित किसी संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध।

''6.(1) किसी शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म को, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित किसी संपत्ति के अंतरण का कोई भी अधिकार नहीं होगा और सदैव कोई भी अधिकार नहीं होना समझा जाएगा और ऐसी संपत्ति का कोई भी अंतरण शून्य होगा और सदैव शून्य हुआ समझा जाएगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित कोई संपत्ति शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ से पूर्व किसी शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म द्वारा अंतरित की गई है और ऐसे अंतरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है तथा संपत्ति [धारा 6, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 की धारा 6 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पहले थी, के अधीन किए गए उक्त आदेश के आधार पर] अभिरक्षक में निहित हो गई थी या निहित हुई समझी गई थी, तो ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी या निहित बनी रही समझी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत कोई शत्रु या शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म भी है) अभिरक्षक में निहित या निहित समझी गई ऐसी संपत्ति पर कोई भी अधिकार (जिसके अंतर्गत सभी अधिकार, हक और हित या ऐसी संपत्ति से उद्भूत कोई फायदा भी है) नहीं होगा या कोई भी अधिकार नहीं होना समझा जाएगा।''।

धारा 8 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित संपत्ति की बाबत, अभिरक्षक ऐसे उपाय कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार इसके व्ययन किए जाने तक वह ऐसी संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है।'';

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iक) शत्रु संपत्ति के संबंध में, यथास्थिति, किराया, मानक किराया, पट्टा किराया, अनुज्ञप्ति फीस या उपयोक्ता प्रभार नियत और संगृहीत कर सकेगा;";

(ख) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ivक) अप्राधिकृत या अवैध अधिभोगी या अतिचारी से बेदखल कराकर शत्रु संपत्ति का रिक्त कब्जा सुनिश्चित कर सकेगा और अप्राधिकृत या अवैध संनिर्माणों को, यदि कोई हों, हटा सकेगा।"।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभिरक्षक द्वारा संपत्ति का विक्रय।

"8क. (1) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व उसमें निहित शत्रु संपत्तियों का, ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यथास्थिति, चाहे विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययन कर सकेगा।

(2) अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के प्रयोजन के लिए उसकी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने का ऐसे पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा।

(3) अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन पर विक्रय आगमों को तुरंत भारत की संचित निधि में जमा करेगा और केन्द्रीय सरकार को उसके ब्यौरों की संसूचना देगा।

(4) अभिरक्षक, केन्द्रीय सरकार को ऐसे अंतरालों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, उपधारा (1) के अधीन व्ययनित शत्रु संपत्तियों की रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें ऐसे ब्यौरे (जिसके अंतर्गत वह कीमत, जिस पर ऐसी संपत्ति का विक्रय किया गया है और उस क्रेता की विशिष्टियां, जिसको संपत्ति का विक्रय या व्ययन किया गया है तथा भारत की संचित निधि में जमा किए गए विक्रय या व्ययन के आगमों के ब्यौरे भी हैं) होंगे, जो वह विनिर्दिष्ट करे।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन से संबंधित मामलों पर अभिरक्षक को साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश अभिरक्षक तथा उस उपधारा में निर्दिष्ट शत्रु संपत्तियों का क्रेता तथा ऐसे विक्रय या व्ययन से संबंधित अन्य व्यक्तियों पर आबद्धकर होंगे।

(6) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकेगी।

(7) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति का व्ययन अभिरक्षक के बजाय किसी अन्य प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा और उस दशा में उपधारा (1) के अधीन शत्रु संपत्ति के व्ययन के संबंध में, इस धारा के सभी उपबंध ऐसे प्राधिकरण या मंत्रालय या विभाग को लागू होंगे।

(8) उपधारा (1) से उपधारा (7) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार शत्रु संपत्ति का ऐसी रीति में निपटान या उपयोग कर सकेगी, जो वह उचित समझे।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 10क का अंत:स्थापन।

''10क. (1) जहां अभिरक्षक, उसमें निहित किसी शत्रु की कोई स्थावर संपत्ति किसी व्यक्ति को विक्रय करने की प्रस्थापना करता है, वहां वह ऐसी संपत्ति के विक्रय आगमों की प्राप्ति पर उस व्यक्ति के पक्ष में एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और विक्रय का ऐसा प्रमाणपत्र, इस तथ्य के होते हुए भी कि संपत्ति के मूल हक विलेख अंतरिती को सौंपे नहीं गए हैं, विधिमान्य और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी संपत्ति के स्वामित्व का निर्णायक सबूत होगा। विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अभिरक्षक द्वारा जारी किया गया उपधारा (1) में निर्दिष्ट विक्रय प्रमाणपत्र अंतरिती के पक्ष में संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए विधिमान्य लिखत होगा और उस शत्रु संपत्ति के संबंध में, जिसके लिए अभिरक्षक द्वारा ऐसा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया था, ऐसी संपत्ति से संबंधित मूल हक विलेखों के अभाव के आधार पर या ऐसे किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण से, इंकार नहीं किया जाएगा।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 11 का संशोधन।

''(3) अभिरक्षक, उप अभिरक्षक या सहायक अभिरक्षक को, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी मामले पर कार्रवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत भूमि, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण मामलों से संबद्ध कोई अधिकारी, बैंक अधिकारी या किसी कंपनी का अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) बहियों, दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों को पेश करने के लिए बाध्य करना; और

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।''।

11. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में, ''दो प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''पांच प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 17 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''18. अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में किसी संपत्ति को निहित करने वाले किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति से ऐसे आदेश की प्राप्ति या राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, से तीस दिन की अवधि के भीतर किए गए अभ्यावेदन की प्राप्ति पर और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अभिरक्षक में इस अधिनियम के अधीन निहित और उसमें निहित रही कोई भी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं थी, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिरक्षक को यह निदेश दे सकेगी कि अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित ऐसी संपत्ति को उस व्यक्ति को अंतरित कर दिया जाए, जिससे ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी और अभिरक्षक में निहित की गई थी।''। कतिपय मामलों में शत्रु संपत्ति के रूप में निहित संपत्ति का अंतरण।

13. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 18 (इस अधिनियम की धारा 12 द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

''18क. अभिरक्षक द्वारा, शत्रु संपत्ति के संबंध में प्राप्त कोई आय, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, धारा 8क या धारा 18 के अधीन विक्रय के रूप में अंतरित की गई थी, ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को वापस नहीं की जाएगी या वापस किए जाने के लिए दायी नहीं होगी।''। आय का वापस किए जाने के लिए दायी नहीं होना।

नई धारा 18ख और धारा 18ग का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 18क (इस अधिनियम की धारा 13 द्वारा इस प्रकार अंत:स्थापित) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन।

''18ख. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय या प्राधिकरण को किसी ऐसी सम्पत्ति, जो शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम की विषय-वस्तु है, के संबंध में या केन्द्रीय सरकार अथवा अभिरक्षक द्वारा इस संबंध में की गई किसी कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

उच्च न्यायालय को अपील।

18ग. इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की संसूचना या प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश से उद्भूत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न के संबंध में उच्च न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा और ऐसी अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझता है:

परंतु उच्च न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से निवारित हुआ था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।''।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''उच्च न्यायालय'' से किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसमें धारा 18 में निर्दिष्ट सम्पत्ति अवस्थित है।

धारा 20 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते है ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, मूल अधिनियम की धारा 22 में, ''किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में'' शब्दों के पश्चात् ''(जिसके अंतर्गत कोई भी उत्तराधिकार विधि या संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कोई भी रूढ़ि या प्रथा भी है)'' कोष्ठक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे।

नई धारा 22क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 22 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 2 जुलाई, 2010 से अंत:स्थापित की जाएगी, और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी अर्थात्:—

विधिमान्यकरण।

''22क. किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्रभावी और सदैव प्रभावी हुआ समझा जाएगा, मानो उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जैसे वे शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थे, अभिरक्षक से किसी व्यक्ति को निर्निहित की गई कोई शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में सभी विल्लंगमों से मुक्त उसी रीति में अंतरित और निहित हो जाएगी या निहित बनी रहेगी जैसे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शत्रु संपत्ति को इस प्रकार निर्निहित किए जाने से पूर्व अभिरक्षक में इस प्रकार निहित थी, मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे;

(ग) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण में इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन जैसी वह शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, अभिरक्षक से उसमें निहित शत्रु संपत्ति के निर्निहित किए जाने का निदेश देने वाले ऐसे

न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा की गई किसी डिक्री या आदेश या निदेश के प्रवर्तन के लिए चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी और ऐसी शत्रु संपत्ति पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन अभिरक्षक में इस प्रकार निहित बनी रहेगी, मानो पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त धारा सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी;

(घ) अभिरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति के संबंध में, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के आदेशों के निष्पादन में कुर्की, अभिग्रहण या विक्रय के किसी आदेश के आधार पर अभिरक्षक में निहित किसी शत्रु संपत्ति का कोई अंतरण, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है, अकृत और शून्य समझा जाएगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन अभिरक्षक में निहित बनी रहेगी।''।

**धारा 23 का संशोधन।**

18. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।**

19. (1) यदि शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम या शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 से उपबंधों से असंगत नहीं हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

1971 का 40

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 को प्रतिस्थापित करने वाले शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

2016 का अध्यादेश सं॰ 8

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**1971 के अधिनियम सं॰ 40 की धारा 2 और धारा 3 का संशोधन।**

20. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में,—

(क) धारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1968 का 34

''(4) शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित शत्रु संपत्ति का कोई परिसर;'';

(ख) धारा 3 के खंड (क) में,—

(i) दूसरे परन्तुक में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1968 का 34

''परंतु यह भी कि शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन नियुक्त शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक, उप अभिरक्षक और सहायक अभिरक्षक को इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (4) में निर्दिष्ट उन शत्रु संपत्तियों के संबंध में, जो सरकारी स्थान है, जिनके लिए उन्हें शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अधीन अभिरक्षक, उप अभिरक्षक और सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।''।

**व्यावृत्ति।**

21. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 के प्रवर्तन में न रहने पर भी, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 द्वारा यथा संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 या सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन की गई कोई बात या कोई

2010 का अध्यादेश सं॰ 4
1968 का 34
1971 का 40

कार्रवाई, शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 द्वारा यथा संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति।

22. (1) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 का निरसन किया जाता है। 2016 का अध्यादेश सं॰ 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन की गई कोई बात या किसी कार्रवाई को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा। 1968 का 34